न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— ओम कसेरा , I.A.S.

प्रकरण संख्या 59/2019 (प्रार्थना पत्र)

1. इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉरर्पोरेशन प्रा0 लि0 जर्ये प्राधिकृत अधिकारी शाखा कार्यालय पहली मंजिल 10 डी, पंजवानी कॉम्पलेक्स मल्टीपरपज स्कूल के सामने, गुमानपुरा कोटा

——प्रार्थी.

बनाम

1. आशा कुमारी पत्नी श्री मेघराज, राम किराना स्टोर, बापू नगर वार्ड नं0 1, जिला कोटा राजस्थान
2. मेघराज पुत्र मदनलाल राम किराना स्टोर, बापू नगर वार्ड नं0 1, जिला कोटा राजस्थान

———अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरिटीजेशन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसीस्ड एण्ड इनर्फोसमेन्ट सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 अप्रार्थीगण की ओर से आपत्तियॉ प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन

उपस्थिति

श्री सेफुद्दीन अंसारी, अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक— 17.03.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के प्रकरण संख्या 101/2018 बउनवान इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉपोरेशन लि0 बनाम श्रीमती आशा कुमारी वगै0 निर्णय दिनांक द्वारा बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आबादी भूमि पर एक रिहायसी प्लॉट सर्वे नं0 रे नं0 729, बापू नगर, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा जिला कोटा–324008 राजस्थान में स्थित हैं जो श्री मेघराज पुत्र श्री मदनलाल के नाम से हैं, जिसका कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पट्टा संख्या 16997 दिनांक 12.07.2013 से जारीशुदा हैं को भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 08.01.2019 को पारित किया गया।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की आड में अप्रार्थीगण के सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया तो

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जबरन ताकत के बल पर वह अप्रार्थीगण से उसकी सम्पत्ति को छीन लेगे। तथा अप्रार्थीगण को अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा, जिससे कि मल्टीप्ली सिटी ऑफ ज्यूडिशियल प्रोसेडिंग उत्पन्न होगी तथा अनेकानेक विवाद में अप्रार्थीगण उलझकर रह जावेगें। जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2019 को स्थगित किया जाने की कृपा करे।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की आड में अप्रार्थीगण के सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया तो अप्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जबरन ताकत के बल पर वह अप्रार्थीगण से उसकी सम्पत्ति को छीन लेगे। तथा अप्रार्थीगण को अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा, जिससे कि मल्टीप्ली सिटी ऑफ ज्यूडिशियल प्रोसेडिंग उत्पन्न होगी तथा अनेकानेक विवाद में अप्रार्थीगण उलझकर रह जावेगें। जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2019 को स्थगित किया जाने की कृपा करे। ।

5. हमने वकील अपीलान्ट की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया, चूंकि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल पत्रावली में निर्णय पारित किया जा चुका हैं, जिसे रिव्यु करना हम उचित नहीं समझते हैं। अतः गुणावगुण के आधार पर व तथ्यों पर मनन करने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

6. निर्णय आज दिनांक 17.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर - कोटा

जिला रजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner